पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांकः– 417 दिनांकः 30.06.23

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 21.06.2023 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 21.06.2023 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के कुलपति सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहेः–

क्र.सं	नाम	पद नाम	पदेन
1.	डॉ. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार शर्मा	कोषाधिकारी, सीकर एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, जयपुर	सदस्य
3.	डॉ. शिवदत्त कविया	प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर	सदस्य
4.	डॉ. जगदीश प्रसाद	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
5.	डॉ. कौशल किशोर	माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
6.	डॉ. संगीता कुमारी	माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
7.	डॉ. पुष्पा चौधरी	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
8.	डॉ. ऋचा कुलश्रेष्ठ	प्राचार्य, निजी महाविद्यालय राज्य सरकार प्रतिनिधि	सदस्य
9.	श्री राजवीर सिंह चौधरी	कुलसचिव	सदस्य सचिव
10.	श्री अर्जुन लाल गुर्जर	वित्त नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य

प्रबंध बोर्ड बैठक में सदस्य डॉ. शिवदत्त कविया, प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा ऑनलाईन गुगल मीट (Google Meet) प्लेटफॉर्म से बैठक में सम्मिलित हुए।

प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य श्री राजेन्द्र पारीक, माननीय विधायक, सीकर, श्री जे.पी. चंदेलिया, माननीय विधायक, पिलानी, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, प्रो. के. डी. स्वामी, शिक्षाविद्, राज्य सरकार प्रतिनिधि एवं डॉ. रणवीर सिंह, संकायाध्यक्ष विज्ञान बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी आगुन्तक सदस्यों का स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये :–

Item Agenda (मद) 1 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 30.12.2022, 11.02.2023 एवं 27.05.2023 के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णयः

बैठक दिनांक 30.12.2022 के कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण (observation) के साथ की गई कि एजेण्डा मद संख्या 7 में श्रमिकों को श्रम विभाग/राज्य सरकार की अधिसूचित दरों के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय की निजी आय से कार्य करवाने का निर्णय किया गय। एजेण्डा मद संख्या 8 में राजस्थान सरकार की दरें राजस्थान विश्वविद्यालय से कम है, अतः राजस्थान सरकार की दरें स्वीकार की गई।

बैठक दिनांक 11.02.2023 के कार्यवृत की पुष्टि की गई।

बैठक दिनांक 27.05.2023 के कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण (observation) के साथ की गई कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु 2 एवं 3 में क्रमशः Centre for Shekhawati Diaspora एवं Centre for Defence Studies को स्ववित्त पोषित योजना (SFS) से शुरू किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 2 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 30.12.2022, 11.02.2023 एवं 27.05.2023 के अनुपालना प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

निर्णयः

कार्य सूची की परिशिष्ट II में संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन (ATR) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 3 :– विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17.06.2023 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

निर्णयः

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17.06.2023 के कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण (observation) के साथ की गई कि एजेण्डा मद 7 में पुनर्मूल्यांकन नीति में बेस्ट दो उत्तरपुस्तिका जांच की अंकों का औसत लेकर परीक्षा परिणाम दिया जाये। एजेण्डा मद 8 में UGC (Minimum Standards and Procedures for the award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022 के संबंध में प्रबंध बोर्ड का निर्णय है कि साक्षात्कार के संदर्भ में विद्या परिषद् को पुनर्विचार के लिए भेजा जाये तथा यू.जी.सी. गाईडलाईन का अक्षरशः पालना किया जाये। एजेण्डा मद 10 में कुलसचिव, डॉ. भींवराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को पत्र लिखकर सूचित किया जाये कि विश्वविद्यालय के पूर्व में क्षेत्राधिकार में अवस्थित विधि महाविद्यालय डॉ. भींवराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर में स्थानान्तरित हो जाने के कारण इस विश्वविद्यालय के विधि के शोधार्थियों के शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये जाते हैं, क्योंकि वे शोध पात्रता परीक्षा के समय पूर्व में इस विश्वविद्यालय में शोध पर्यवेक्षक के रूप में पंजीकृत थे। जेआरएफ स्कोलर्स शोधार्थियों की पी.एचडी. बाधित नहीं हो इसलिए उक्त शोध पर्यवेक्षकों के निर्देशन में शोध करवाई जावे। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्री–पीएच.डी. परीक्षा–2021 का कोर्स वर्क पूर्ण हो

जाने के फलस्वरूप परीक्षा के समय इस विश्वविद्यालय में पंजीकृत शोध पर्यवेक्षकों, जिनके यहां पूर्व में इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे तथा वर्तमान में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जयपुर में स्थानान्तरित हो गए हैं, को शोधार्थियों के पर्यवेक्षक नियुक्त कर कुलसचिव, डॉ. भींवराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाये ताकि उस विश्वविद्यालय में ऐसे शोध पर्यवेक्षकों को उनके द्वारा नियमानुसार शोधार्थी आवंटित किये जाएं। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु 1 में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा लने वाले आंतरिक परीक्षकों के मानदेय लागू करने से पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमों का अध्ययन किया जाये। शेष कार्यवृत्त (Minutes) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 4 :– वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.06.2023 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)

निर्णयः

वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.06.2023 के कार्यवृत (कार्य सूची की संलग्न परिशिष्ट IV) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 5 :– भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.05.2023 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)

निर्णयः

भवन निर्माण समिति क़ी बैठक दिनांक 20.05.2023 के कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण (observation) के साथ की गई कि एजेण्डा मद 2 के बिन्दु संख्या 5 व 6 में प्रबंध निदेशक (MD), RSRDC को पत्र लिखकर सूचित कराये कि विश्वविद्यालय को निर्माण में होने वाली देरी/गलत पूर्वानुमान (Estimate) से लागत राशि में जो बढ़ोतरी हुई, उस क्षति का पुनर्भरण करें तथा कार्य शीघ्र पूर्ण करावें एवं जांचे कि वास्तव में दोषी कौन है। एजेण्डा मद 3 में फुट ओवर ब्रिज/ अण्डरपास बनाने हेतु पुनः समीक्षा हेतु भवन निर्माण समिति के पास भेजे जाने का निर्णय किया। एजेण्डा मद 4 में हाईटेंशन लाईन शिफ्टिंग हेतु एवीवीएनएल को पुनः पत्र लिखा जाये और पत्र की प्रति शीघ्र कार्य करवाने के निवेदन हेतु माननीय मंत्री महोदय, ऊर्जा विभाग को भिजवाई जाये। शेष कार्यवृत्त (Minutes) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :– विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VI)

निर्णयः

विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट (कार्य सूची की संलग्न परिशिष्ट VI) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 7 :– बागवानी समिति की बैठक दिनांक 20.05.2023 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VII)

निर्णयः बागवानी समिति की बैठक दिनांक 20.05.2023 के कार्यवृत (कार्य सूची की संलग्न परिशिष्ट VII) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :– सेठ जी.बी. पोदार महाविद्यालय, नवलगढ़, झुन्झुनू के कूटरचित दस्तावेजों की जांच करने हेतु गठित जांच समिति की जांच रिपोर्ट के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VIII)

निर्णयः सेठ जी.बी. पोदार महाविद्यालय, नवलगढ़, झुन्झुनू के कूटरचित दस्तावेजों की जांच करने हेतु गठित जांच समिति की जांच रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 9 :– प्रतिवेदित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन में कनिष्ठ लिपिक हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IX)

निर्णयः प्रतिवेदित मद का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 10 :– प्रतिवेदित किया जाता है कि वित्त समिति हेतु प्रबंध बोर्ड के सदस्य का कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (6) के अधीन नामित किया गया।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – X)

निर्णयः प्रतिवेदित मद का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 11 :– प्रतिवेदित किया जाता है कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को वित्तीय वर्ष 2019 से 2022 तक के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क रू. 2,20,000/– का भुगतान किया गया।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – XI)

निर्णयः प्रतिवेदित मद का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 12 :– विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी के चलते सेवानिवृत कर्मचारियों को कार्मिक विभाग, राजस्थान (D.O.P.) के नोटिफिकेशन के अनुसार समेकित पारिश्रमिक पर रखे जाने हेतु विचार एवं निर्णय।

निर्णयः सेवानिवृत कर्मचारियों को कार्मिक विभाग, राजस्थान (D.O.P.) के नोटिफिकेशन के अनुसार समेकित पारिश्रमिक पर रखे जाने की अनुमति दी गई।

Item Agenda (मद) 13 :– खेल गतिविधियों (अन्तर महाविद्यालय एवं अन्तर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं) के सुचारू संचालन हेतु खेल सचिव नियुक्त करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः डॉ. राजेश कुमार ढ़ाका, शारीरिक शिक्षक, राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ को एक वर्ष के लिए खेल सचिव पुनः नियुक्त किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 14 :– UGC (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – XII)

निर्णयः UGC (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 को अंगीकृत किया गया।

Item Agenda (मद) 15 :– निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 12.06.2023 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – XIII)

निर्णयः निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 12.06.2023 के कार्यवृत (कार्य सूची की संलग्न परिशिष्ट XIII) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 16 :– विश्वविद्यालय परीक्षाओं में वीक्षक एवं सहायककर्मी ड्यूटी का मानदेय कम होने के कारण इनकी कमी के चलते मानदेय बढ़ाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय परीक्षाओं में वीक्षक एवं सहायककर्मी ड्यूटी का मानदेय बढ़ाने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखे जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 17 :– प्रतिवेदित किया जाता है कि श्री संजय महला, एडवोकेट को अस्थायी तौर पर अधिवक्ता एवं विधि सलाहकार नियुक्त किया गया है।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – XIV)

निर्णयः प्रतिवेदित मद का अनुमोदन किया गया।

<u>टेबल एजेण्डा</u>

Table Agenda (मद) 1 :– पूरक परीक्षा, 2022 के परीक्षा परिणाम से प्रभावित विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा, 2023 का आवेदन पत्र दो गुणा विलम्ब शुल्क के साथ भरने का अवसर दिया गया। इन पूरक परीक्षार्थियों से लिए जाने वाले दो गुणा विलम्ब शुल्क की वापसी के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – XV)

निर्णयः पूरक परीक्षार्थियों से लिए जाने वाले दो गुणा विलम्ब शुल्क की वापसी संबंधित विद्यार्थी को किये जाने का निर्णय लिया गया।

Table Agenda (मद) 2:— कुलपति के चयन हेतु खोजबीन समिति (VC Search Committee) के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को बैठकों में दिये जाने वाले मानदेय (Sitting Charges) पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः मद को वित्त समिति के माध्यम से आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

Table Agenda (मद) 3 :— डॉ जसवंत सिंह खीचड़, सलाहकार (सेवानिवृत उप—कुलसचिव) के समेकित पारिश्रमिक में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(कार्य सूची की परिशिष्ट — XVI)

निर्णयः मद को आगामी बैठक हेतु स्थगित करने का निर्णय लिया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु</u>

1. **शैक्षणिक सत्र 2022—23 हेतु विश्वविद्यालय के स्वयं के विभागों में स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज के शुल्क के अनुमोदन के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः शैक्षणिक सत्र 2022—23 हेतु विश्वविद्यालय के विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज के शुल्क का संलग्न परिशिष्ट XVII के अनुसार अनुमोदन किया गया। शैक्षणिक सत्र 2023—24 हेतु शुल्क निर्धारण के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

2. **विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय किया गया।

3. **भवन निर्माण समिति में प्रबंध बोर्ड सदस्य के मनोनयन के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः भवन निर्माण समिति में प्रो. जगदीश प्रसाद, राज्य सरकार द्वारा नामित प्रबंध बोर्ड सदस्य को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया।

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की।

कुलसचिव